

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज घमण्डी सिंह बतम भीमान तहसीलदार
15/12/20	पत्रावली पेश हुई। प्रचारित पत्रावली दिनांक 12/12/20 को पेश हुई।
	सहायक कलेक्टर मरतपुर
12/12	पत्रावली पेश हुई। एकीकृत वाडी उपो। परिवारी सेवा
	172 की नमूनी हेतु नमूना पेश किया पत्रावली इंतजार वाली दिनांक 21/2/21 को पेश हो।
21/2/21	पत्रावली पेश हुई। एकीकृत वाडी उपो। परिवारी सेवा
	की नमूनी हेतु नमूना पेश कर पत्रावली वाडी इंतजार वाली दिनांक 21/2/21 को पेश हो।
21/2/21	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी
	नुबालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 27/4/21 को पेश हो।
27/4/21	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी
	नुबालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 15/6/21 को पेश हो।
15/6/21	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी
	नुबालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 24/8/21 को पेश हो।
24/8/21	पत्रावली पेश हुई, पी
	नुबालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 01/11/21 को पेश हो।
08/11/21	पत्रावली आरपी पोक्स - 2021 आरपी नगरपालिका
	वाडी पर पेश हुई। वाडी उपो। प्रकरण का सेडीप में
	विवरण इस प्रकार है कि वाडी ने यह वाड पत्र
	अनुरोध द्वारा 88, 89 RTA के तहत इस आशय
	के साथ पेश किया कि आरपी खसरा नम्बर
	1344 खसरा 5.18, 1345 खसरा 3.05, 1352
	खसरा 1.12 वाडी पत्र वाडी द्वारा 1982 में
	खरीदा या खसरा से वाडी का खसरा नाम उर्फ ही

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
दामोदी सिंह बनाम भीमान तहसीलदार

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

है। जब ग्राहक ने मिनिमम सूखा के नाम से पाना  
पाता है इसलिए वादी के पिता द्वारा सूखा संबंध  
क्रियम पत्र में सहक से प्राप्त लिखवा दिया था  
जबकि रेशन कार्ड वगैरह में वादी का नाम  
दामोदी सिंह है रिकार्ड में वादी का नाम सूखा  
के स्थान पर दामोदी सिंह दर्ज कर्के के आदेश  
करवाये जाके की जांग की है।

परवारी दस्ता

शु. अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार उद्योग  
से पकटा के आय रिपोर्ट की गई जो शक्ति  
पत्रवली है। नरे द्वारा पत्रवली का अवलोकन किया  
गया तथा पत्रवली में संलग्न इस्तकियों का  
जनन किया गया वादी ने अपने वाद पत्र में  
सबसे कम से अंकित किया है कि उक्त आरापी  
ने वादी के पिता ने शक्ति क्रियम पत्र में वादी  
का नाम सूखा लिखवा दिया है तथा आरापी शक्ति  
क्रियम पत्र से खरीद कराना अफगत कराया है  
रहसी स्थिति में वादी का वाद पत्र खारिज  
किया जाना भावश्यक है।

आ. आदेश है वादी का

वाद पत्र खारिज किया जाता है। पर्या डिही  
गैरार हेकर शक्ति पत्रवली है। पकटा नम्बर  
से कर होकर कुसल सुभार होकर शक्ति  
इफतर है।

सहायक कलक्टर  
रुचन (भरतपुर)